Rule 63: Form and manner of submission of return by non-resident taxable person

Every registered non-resident taxable person shall furnish a return in **FORM GSTR-5** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, including therein the details of outward supplies and inward supplies and shall pay the tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter within twenty days after the end of a tax period or within seven days after the last day of the validity period of registration, whichever is earlier.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 63 : गैर—निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत गैर निवासी कराधेय व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर—5 में विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसके अंतर्गत जावक प्रदाययों और आवक प्रदाययों के ब्यौरे सिम्मिलित हैं तथा वह कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम के अधीन या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम का कर अविध के अंत से 20 दिन के पश्चात् या रिजस्ट्रीकरण अविध की विधिमान्यता के अंतिम दिन के पश्चात् 7 दिन के भीतर, जो भी पूर्वत्तर हो, संदाय करेगा।